

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारंकित प्रश्न ख : 1096

07 , 2020 प्रश्न त्त

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत निधियों का

1096. श्री f

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पंजाब सरकार ने प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के समान विशेषताओं वाली एक समानान्तर योजना शुरू की है तथा इसके परिणामस्वरूप पीएमजेएवाई के लाभों को नहीं दिया जा रहा है, यदि हां, तो इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है;
- (ख) क्या पंजाब में पीएमजेएवाई से संबंधित निधियों का दुर्विनियोजन किसी अन्य योजना में किए जाने का मामला सरकार को नोटिस में आया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाही की गई है?

त्त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य त्र (श्री श्वे)

(क): आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) को आयुष्मान भारत-सरबत सेहत बीमा योजना के रूप में राज्य योजना के साथ संबंध में पंजाब राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी) डाटाबेस के अनुसार पहचानी गई 14.86 लाख एबी-पीएमजेएवाई लाभार्थी परिवारों सहित 45.89 लाख लाभार्थी परिवारों को कवर करती है।

सभी लाभार्थियों को प्रति वर्ष 5 लाख रु. प्रति परिवार तक के हेल्थ कवर में शामिल किया जाता है। योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के तहत निर्धारित सभी 1393 हेल्थ बेनेफिट पैकेज उपलब्ध हैं। साथ ही, एबी-पीएमजेएवाई पात्र लाभार्थियों को नेशनल पोर्टालिबिटी का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है।

एबी-पीएमजेएवाई के संबंध में लागत को 60:40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच साझा किया जाता है। नॉन-एसईसीसी लाभार्थियों के लिए, लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

(ख): जी, नहीं।

(ग) एवं (घ): उपयुक्त भाग (ख) के उत्तर के मद्देनज़र, प्रश्न नहीं उठता।
